संख्या-47 /2017/2645/60-2-17-2/3(2)/17

प्रेषक,

मासूम अली सरवर
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 17 अक्टूबर, 2017

विषय : वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-97- वाहय सहायत्तित योजनायें के 9704-आई0एस0एस0एन0आई0पी0-पोषण योजना का संचालन के मानक मद-42 अन्य व्यय तथा 9705- आई0एस0एस0एन0आई0पी0 (संस्थागत एवं प्रक्रियात्मक सुधार) के मानक मद-42 अन्य व्यय व 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय" में पुनर्विनियोजन के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-524/बा0वि0परि0/लेखा/2017-18, दिनांक 18.09.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-97- वाहय सहायत्तित योजनायें के 9704-आई0एस0एस0एन0आई0पी0-पोषण योजना का संचालन के मानक मद-42 अन्य व्यय में रूपये 49.99 लाख (रूपये उन्नचास लाख निन्यावबे हजार मात्र)तथा 9705- आई0एस0एस0एन0आई0पी0 (संस्थागत एवं प्रक्रियात्मक सुधार) के मानक मद-42 अन्य व्यय में रूपये 2338.00 लाख (रूपये अडतीस करोड अडतीस लाख मात्र) एवं व मानक मद-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा तथा अन्य प्रासंगिक व्यय में रूपये 500.00 लाख (रूपये पॉच करोड मात्र) अर्थात कुल रूपये 2887.990 लाख (रूपये अटठाइस करोड़ सत्तासी लाख निन्यानब्बे हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोजन के माध्यम से स्वीकृत कर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी। आहरित धनराशि को किसी भी दशा में पी0एल0ए0 खाते/बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(2) स्वीकृति धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बन्धी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बन्ध में सदुपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार से नियमानुसार अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि समयबद्ध रूप से प्राप्त की जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि तक ही सीमित रहेगी।

(6) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य

सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

(8) योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त भलीभांति सत्यापित बिलों के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि की सीमा में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाय।

(9) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-97- वाहय सहायत्तित योजनायें के 9704-आई0एस0एस0एन0आई0पी0-पोषण योजना का संचालन के मानक मद-42 अन्य व्यय तथा 9705- आई0एस0एस0एन0आई0पी0 (संस्थागत एवं प्रक्रियात्मक सुधार) के मानक मद-42 अन्य व्यय व 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय" के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न प्रपत्र के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01- केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं-0102-समन्वित बाल विकास योजना 42-अन्य व्यय" के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3. ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1231/दस/2017, दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक – यथोपरि।

(मासूम अली सरवर)
विशेष सचिव

<u>संख्या- 47/2017/2645(1)/60-2-2017, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
6. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
अनु सचिव